



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वर्ग)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।



Office of Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Website- www.pwd.uk.gov.in

Email- eicpwduk@nic.in

पत्राक- 731/16 प्रशिक्षण/19
सेवा में,

दिनांक- 11/11/2020

निदेशक
डॉ० आर०एस०टोलिया,
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

विषय:- कनिष्ठ अभियन्ताओं के एक माह के अनिवार्य सेवा प्रवेश प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र संख्या-701/16प्रशिक्षण/18 दिनांक -29.10.20।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के 40 कनिष्ठ अभियन्ताओं को दि०-19.11.2020 से एक माह का अनिवार्य सेवा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु नामित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि सूची के क्रमांक-02 पर इं० अनुपमा डोमाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सि०), क्रमांक-27 पर इं० तरुण बजाज, कनि० अभियन्ता (सि०), क्रमांक-31 पर इं० निरंजन कुमार साह, कनि० अभियन्ता (प्रा०), क्रमांक-35 पर इं० गजपाल सिंह भण्डारी, कनि० अभियन्ता (प्रा०) एवं क्रमांक-40 पर इं० ऋषिराम लसियाल, कनि० अभियन्ता (प्रा०) द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने में असमर्थता व्यक्त की है।

अतः उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रशिक्षण से मुक्त रखते हुए उनके स्थान पर निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ताओं को नामित किया जा रहा है :-

क्रम सं०	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	व्हाटसेप नम्बर	जन्म तिथि	विभाग में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान धारित पद	वर्तमान पद कार्यानुभव (वर्ष में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इं० अनुराग बिष्ट	JE(C)	रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि० धूमाकोट	9012386508	18.11.79	28.10.16	JE(C)	4वर्ष 0 माह
2	इं० मनोज कुमार	JE(C)	नि०ख०, लो०नि०वि० लक्सर	9458970920	01.01.83	28.10.16	JE(C)	4वर्ष 0 माह

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधि०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि० हल्द्वानी।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता,वृत्त, लो०नि०वि०।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 4- इं०.....कनिष्ठ अभियन्ता सि०/प्रा०लो०नि०वि०.....।
- 5- इं०.....कनिष्ठ अभियन्ता,लो०नि०वि०को निदेशक, डॉ० आर०एस०टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल के पत्र 1533/चार-55/2019/टी०सी०यू दि०-23.10.2020 की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय प्रेषित कि दिनांक-19 नवम्बर, 2020 से 12 दिसम्बर, 2020 के मध्य होने वाले सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित तिथि दि०-18 नवम्बर, 2020 को दोपहर तक अकादमी में योगदान देना सुनिश्चित करें। (संलग्न:- पत्र की प्रति)
- 6- प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन 'घ' वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (अधि०)

27/10/2020

28/10/2020

1942

C.E. (CH)

प्रेषक,

निदेशक,

डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड शासन

देहरादून।

PA to HOD

27/10/2020



पत्रांक: 1533/चार-55/2019/टी०सी०यू०,

दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

EE (प्रशिक्षण)

विषय: लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु एक माह के अनिवार्य सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

28/10/2020

1130

Urgent

SAO (T)

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (मु०) लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के पत्र संख्या : 1037/16 प्रशिक्षण/19, दिनांक: 12.12.2019 एवं पत्र सं०: 195/16 प्रशिक्षण/19, दिनांक 14.05.2020 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के क्रमशः 40 एवं 227 कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची सेवा प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग के 40 – कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु द्वितीय सेवा प्रवेश प्रशिक्षण दिनांक: 19 नवम्बर 2020 से 12 दिसम्बर, 2020 के मध्य 3- सप्ताह तथा तीन दिन का सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण प्रभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित E-Governance: concept and Initiatives एवं Gender Issues and Work Life Balance विषयक तीन दिवसीय दो-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी उक्त सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ समाहित किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक : 19 नवम्बर से 12 दिसम्बर के मध्य कुल 3 सप्ताह, एवं 3- दिन की अवधि में आयोजित किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु लोक निर्माण विभाग के 40- कनिष्ठ अभियन्ताओं को नामित करते हुए प्रशिक्षण हेतु यथासमय अवमुक्त करने का कष्ट करें।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रतिभागी अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है :-

1. प्रतिभागियों द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी कोविड निगेटिव RT-PCR प्रमाण पत्र प्रशिक्षण से पूर्व उपलब्ध कराना होगा। अकादमी आगमन पर प्रतिभागियों का पुनः गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा कोविड-19 के कोई भी लक्षण परिलक्षित होने पर उन्हें वापस किया जा सकता है। प्रतिभागी हाई रिस्क श्रेणी में न आते हों यथा गर्भवती महिलाएँ, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर अथवा हृदय रोग अथवा अन्य ऐसी कोई परिस्थिति जो हाई रिस्क की श्रेणी में आती हो।
2. प्रतिभागियों को दिनांक: 18 नवम्बर, 2020 को दोपहर तक अकादमी में योगदान देना होगा।
3. प्रतिभागी सुनिश्चित कर लें कि उन्हें सर्दी, खाँसी, बुखार जैसे लक्षण परिलक्षित न हो रहे हों।

28/10/2020

4. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान किया जाना होगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अकादमी कैम्पस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार की स्टेशन लीव अनुमत्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का अवकाश देय होगा।
5. प्रशिक्षुओं के पारिवारिक सदस्यों/आगन्तुकों को अकादमी परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी।
6. **Physical Distancing** के सभी मानकों का प्रत्येक समय अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त प्रोटोकाल/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अकादमी द्वारा मैस, चर्चा कक्षों, छात्रावास एवं पुस्तकालय हेतु बनाई गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रशिक्षुओं द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रतिभागी को अकादमी से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, अतः अपने साथ प्रशिक्षण अवधि तक के अपने निजी उपयोग की समस्त सामग्री साथ लेकर आयें।
9. अकादमी द्वारा भोजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सापेक्ष निर्धारित शुल्क प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जाएगा।
10. प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न औपचारिक अवसरों पर ड्रेस कोड निर्धारित है, पुरुषों के लिए बंद गले का काला कोट तथा काला पैन्ट व काले जूते तथा महिलाओं के लिए क्रीम रंग की लाल बार्डर वाली प्लेन साड़ी, क्रीम रंग का ब्लाउज/ स्वेटर, काला कोट व काले सैंडल, अतः उक्त कपड़े साथ लेकर आवें।
11. कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। अतः अपने साथ आवश्यक संख्या में मास्क लेकर आवें।

भवदीय,

(राजीव रौतेला)
निदेशक

✓ प्रतिलिपि : मुख्य अभियन्ता, कार्यलय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वर्ग), लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उनके पत्र सं०: 1037/16 प्रशिक्षण/ 19, दिनांक: 12.12.2019 एवं पत्र सं० : 195/16 प्रशिक्षण/19 दिनांक 14 मई, 2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजीव रौतेला)
निदेशक